राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक एफ 5(4) कृ.प्र./ /2016–17/2497-2696 दिनांक– 13-5-16

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद.....

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2016–17 में विस्तार–प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन हेतु दिशा–निर्देश ।

कृषको एवं कृषि विस्तार कार्मिको की तकनीकी ज्ञान वृद्वि हेतु प्रशिक्षण एक आवश्यक माध्यम है। अनुसंधान एंव विकास योजनाओ के लाभ उचित लाभार्थियों तक पहुचाने का सशक्त माध्यम विस्तार प्रणाली है। विस्तार की विभिन्न गतिविधियों को अपनाकर वास्तविक लाभार्थियों को उचित ज्ञान/जानकारी उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा सकता है। वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत संचालित निम्न गतिविधियों के माध्यम से कृषकों को जानकारी देने एवं उत्पादन वृद्वि हेतु दिशा–निर्देश भिजवाये जा रहे है। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अलग से भिजवाये जायेगें ।

अ– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :–

1. फसल पद्धति आधारित कृषक/महिला कृषक प्रशिक्षण (गेहू/दलहन)

संलग्नः–दिशा निर्देश

(डॉ. नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ
शासन सचिव, कृषि

क्रमांक एफ 5(4) कृ.प्र./ /2016–17/2497-2696 दिनांक– 13-5-16

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं पशुपालन राजस्थान–जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त एंव विशिष्ट शासन सचिव,कृषि राजस्थान–जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर ––––––––––––––––
5. निदेशक, पशुपालन/मत्स्य पालन, राजस्थान–जयपुर।
6. अपर निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/एन.एम.ओ.ओ.पी.) मुख्यालय जयपुर
7. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा जयपुर
8. निदेशक समेती (आत्मा), दुर्गापुरा जयपुर
9. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार / तिलहन)/परियोजना निदेशक सीएडी कोटा
10. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार/योजना/आदान/पौ0सं0/गु0नि0/ज0उ0प्र0/शस्य– एटीसी/प्र0 एवं मू0/सांख्यिकी/रसायन), मुख्यालय जयपुर।
11. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद/उप निदेशक कृषि (विस्तार), आईजीएनपी बीकानेर.....।
12. उप निदेशक कृषि (विस्तार/अभियांत्रिकी/बीज/उर्वरक/सांख्यिकी/सूचना) मुख्यालय जयपुर।
13. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), उप जिला.....
14. आरक्षी पत्रावली।

(एल.एन. कुमावत)
अपर निदेशक कृषि (विस्तार)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम के फसल पद्वति आधारित कृषक प्रशिक्षण हेतु

दिशा निर्देश वर्ष 2016–17

प्रशिक्षण का दायित्व सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), उप जिला का होगा। प्रत्येक प्रशिक्षण हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावेगा जो सहायक कृषि अधिकारी स्तर का होगा।

1. कृषक प्रशिक्षण फसल पद्वति आधारित होगें, जो चार सत्र में आयोजित किये जावेगें जिसमें प्रथम सत्र खरीफ से पूर्व द्वितीय सत्र खरीफ फसल के मध्य, तृतीय सत्र रबी पूर्व एवं चतुर्थ सत्र रबी के मध्य आयोजित किये जाने है।
2. प्रशिक्षण में 30 कृषक भाग लेंगें, जिसमें लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वयं सहायता समूह एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाए। चारों सत्रों में उन्ही 30 चयनित कृषकों को प्रशिक्षण दिया जावेगा। प्रशिक्षण में मिशन से जुडे नये कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
3. प्रशिक्षण का आयोजन ब्लाक स्तर या 100 हेक्टर प्रदर्शन पर किया जावेगा।
4. प्रशिक्षण में फसलों के बीज उत्पादन तकनीक, मृदा एवं जल परीक्षण का महत्व नमूने एकत्र करना व इनके उपयोग की जानकारी, सन्तुलित पोषक तत्वों (मुख्य व सूक्ष्म तत्व) के उपयोग, इत्यादि विषयों पर चर्चा की जाए।
5. प्रशिक्षार्थियों की क्षमता में अभिवृद्धि के लिए आवेदक कृषकों को प्रपत्र भरने की जानकारी, वॉछित दस्तावेज, देय अनुदान व अन्य प्रतिकियात्मक जानकारी दी जावे। प्रशिक्षण के दौरान बून्द–बून्द सिंचाई (ड्रिप), फव्वारा सिंचाई विधि, पाईप लाईन एवं डिग्गी निर्माण कर जल के समुचित उपयोग करने की जानकारी भी दी जावे।
6. प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम (मिनट टू मिनट) बनाया जाए तथा स्थान, दिनांक, कृषक चयन, विषयपरक, व्याख्याता चयन, दृश्य–श्रृव्य साधान, प्रशिक्षण साहित्य आदि की प्रशिक्षण पूर्व व्यवस्था करनी होगी। यह ध्यान रखें कि समयबद्ध कार्यक्रम से पहले प्रशिक्षण समाप्त न हो तथा कार्यक्रम में प्रस्तावित समय के बाद प्रारम्भ न हो।
7. कृषि यंत्र/ पौध–संरक्षण उपकरण वितरण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार व देय अनुदान की जानकारी दी जावे।
8. प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी/ कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) के सम्मलित प्रयासो से किया जावेगा। प्रशिक्षण में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे। प्रशिक्षण कलेण्डर की सूचना उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद के पास रहेगी। प्रशिक्षण कलेण्डर की प्रति महिला बाल विकास विभाग के पंचायत समिति स्तर के अधिकारी को भी दी जावे एवं स्थानीय ग्राम पंचायत स्तर के महिला कार्यकर्ता को प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से आमन्त्रित किया जाए।

9. प्रशिक्षण हेतु बजट का आवंटन उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद को किया जावेगा।
10. प्रशिक्षाणार्थियों का प्रशिक्षण के दौरान ज्ञानार्जन टेस्ट लिया जावेगा जिसके लिये पूर्व में ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र तैयार किया जावेगा। इसकी घोषणा प्रशिक्षण प्रारम्भ के समय प्रत्येक प्रशिक्षु कृषकों को दी जावेगी, जिससे प्रशिक्षणार्थियों को टेस्ट की जानकारी हो तथा सम्पूर्ण प्रशिक्षण के दौरान वे गम्भीर रहे। इन पुरस्कारों की व्यवस्था प्रशिक्षण पूर्व की कर ली जाए तथा प्रशिक्षण समाप्ति पर पुरस्कार वितरण किए जाए।
11. कृषक प्रशिक्षणों का आयोजन चार भागों में खरीफ बुवाई से पूर्व, खरीफ मध्य, रबी बुवाई से पूर्व, रबी फ़सलों के मध्य में, जिसके लिए प्रति प्रशिक्षण 3500 रू0 की दर से कुल 14000 रू0 एक प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से देय होंगे यथापि एक मद की बचत राशि से दूसरे मद में व्यय की जा सकेगी।

क.सं.	नाम गतिविधि	राशि (रूपये)
1	प्रशिक्षणार्थी हेतु एवं सहायक स्टाप चाय एवं नाश्ता (50x35x4)	**7000**
2	कृषकों द्वारा की गई यात्रा के वास्तविक किराये का पुनर्भरण एवं PoL, Contingencies हेतु (750x4)	**3000**
3	अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय भत्ता @ 500 per Session (500x4)	**2000**
4	प्रशिक्षण सामग्री एवं स्टेशनरी हेतु @ 500 per Session (500x4)	**2000**
	योग -	**14000**

12. प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि अनुसंधान केन्द्र आदि से विषय विशेषज्ञ आंमत्रित किये जावेगें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम के तहत फसल पद्वति आधारित कृषक प्रशिक्षण –प्रस्तावित प्रशिक्षण योजना (कलेण्डर) का प्रारूप

(वर्ष 2016–17 के लिए सम्पूर्ण वर्ष का कलेण्डर प्रारम्भ में ही बनाना है।)

क.सं.	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण का दिनांक	प्रशिक्षण हेतु नोडल अधिकारी	मुख्य विषय वस्तु	अतिथि व्याख्याता/विशेषज्ञ का नाम व पद
1	2	3	4	5	6

प्रशिक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले मुख्य बिन्दु
(प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी उप निदेशक कृषि को रिपोर्ट शीघ्र भिजवानी है)

1. प्रशिक्षण स्थल
2. प्रशिक्षण दिनांक
3. भाग लेने वाले कृषकों की संख्या
4. उपस्थित विभागीय अधिकारियों/ कार्मिको के नाम व पद एवं बीजों उपचार की जानकारी
5. प्रशिक्षण देने वालों के नाम व पद
6. विषय जिन पर प्रशिक्षण दिया गया
7. कृषकों को दिए गए प्रश्न–पत्रों व उनके उत्तर के बारे में टिप्पणी
8. आयोजित प्रशिक्षण का प्रस्तावित व वास्तविक टाईम टेबिल (मिनट टू मिनट प्रोग्राम) का विस्तृत विवरण
9. कृषकों की रूचि के बारे में टिप्पणी
10. प्रशिक्षकों के ज्ञान के बारे में टिप्पणी
11. विषय वस्तु के बारे में टिप्पणी
12. कृषकों के द्वारा दिए गए फीड–बेक का सारॉश
13. विशेष विवरण

प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित विषयों की प्रतीकात्मक सूची
(केवल प्रतीकात्मक सूची है। आवश्यकतानुसार विषय अपने स्तर पर भी तय किए जा सकते है)

1. विभागीय योजनाओं की जानकारी
2. उत्पादकता वृद्धि कैसे हो – विस्तृत चर्चा व कार्य–योजना।
3. ग्राम स्तरीय फसल उत्पादन कार्यक्रम (क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता की कार्ययोजना)
4. बीज प्रतिस्थापन दर (SRR) बढ़ाने के तरीके–ग्राम स्तरीय कार्ययोजना
5. प्रमाणित बीज का अधिकाधिक उपयोग कैसे हो–ग्राम स्तरीय कार्ययोजना
6. विभिन्न फसलों की उन्नत किस्में
7. फसल अवशेष प्रबन्धन
8. समन्वित पोषक तत्व प्रबन्धन
9. मृदा परीक्षण के आधार पर खाद व उर्वरक का प्रयोग
10. जिप्सम का फसल उत्पादन में महत्व
11. क्षारीय भूमि सुधार
12. वर्षा जल संरक्षण एवं शुष्क खेती
13. फसलों की क्रान्तिक (Critical) अवस्था पर सिंचाई

14. फव्वारा सिंचाई से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि
15. बून्द–बून्द सिंचाई
16. जैविक खेती
17. उन्नत बीज उत्पादन
18. जैविक तरीके से पोषक तत्व प्रबन्धन,
19. वर्मी कम्पोस्ट
20. नेडेप, व सुपर कम्पोस्ट बनाने की विधि
21. जैविक तरीके से कीट प्रबन्धन
22. जैविक तरीके से व्याधि प्रबन्धन
23. नीम का जैविक खेती में उपयोग
24. गर्मियों की जुताई
25. फेरोमेन ट्रेप व प्रकाश पास का उपयोग
26. अनाज का सुरक्षित भण्डारण
27. फार्म लेविल ग्रेडिगं (खेत पर ही सफाई, छनाई, ग्रेडिगं)
28. सूत्रकृमी प्रबन्धन
29. आर्थिक क्षति स्तर जानने का तरीका व महत्व
30. विभिन्न नाशी जीवों का प्रबन्धन (दीमक, कातरा, सफेद लट, अमेरिकन सुन्डी, चितकबरी सुन्डी, मोयला, आरा मक्खी, पेन्टेड बग, सफेद मक्खी, पोड बोरर, फडका आदि)
31. खरपतवार नियंत्रण कब और कैसे करें।
32. कपास फसल में कीट–नियंत्रण का प्रभावी तकनीक
33. तिलहनी/दलहनी फसल में उत्पादन बढ़ाने के प्रभावी बिन्दु
34. फसल विविधिकरण